(85)

बिहार सरकार

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग

पत्रांक - प्र.6आ.वि.प्र.13/05 - 796 आ0 वा0, पटना/दिनांक - 4.3.06

प्रेषक,

अरूण झा,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
विशिष्ट पदाधिकारी, प्रभारी अनुभाजन, पटना

विषय :- **जन वितरण प्रणाली योजनान्तर्गत निर्गत अनुज्ञप्ति में भागीदार (Partner) के रूप में नाम जोड़े जाने के सम्बन्ध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभाग को ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि जन वितरण प्रणाली योजनान्तर्गत निर्गत अनुज्ञप्ति में अनियमित रूप से भागीदार के रूप में अनुज्ञापन पदाधिकारी द्वारा अतिरिक्त नाम जोड़ा जाता है । जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत अनुज्ञप्ति में भागीदार के रूप में अतिरिक्त नाम जोड़ने का प्रावधान नही है ।

उल्लेखनीय है कि चयन समिति द्वारा नियुक्त आवेदक को अनुज्ञापन पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करने के पश्चात् ही बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के अनुसूची एक में वर्णित वस्तुओं का भंडारण, बिक्री करने हेतु उपर्युक्त आदेश के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति दी जाती है । स्पष्ट है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के साथ एकरारनामा करने वाला व्यक्ति ही जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत कार्य करने हेतु प्राधिकृत है । इनका एकरारनामा रद्द करने पर वे बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापत्र एकीकरण) आदेश 1984 के अन्तर्गत केवल खुदरा विक्रेता ही रह जाते है ।

अतः कार्यरत जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति की जांच कर सुनिश्चित कर लें कि किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनुज्ञप्ति में किसी भागीदार का नाम अंकित नही है । यदि किसी अनुज्ञप्ति में भागीदारी का नाम अंकित हो तो उसे तत्काल हटा दिया जाय तथा भागीदार का नाम जोड़ने वाले सम्बन्धित अनुज्ञापन पदाधिकारी से कारणपृच्छा की मांग कर विभाग को सूचित किया जाय ताकि इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जा सके ।

विश्वासभाजन,
(signature) 3/3/06
(अरूण झा)
सरकार के सचिव ।

C:\Documents and Settings\w\My Documents\sec_6_06.doc